इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023—भाद्र 24, शक 1945

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2023

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-1-पी.एस.जी.-41.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित् की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित् की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.5	(1) डुप्लीकेट मार्कशीट	सहायक सचिव अभिलेख/संभागीय अधिकारी	वर्ष 2003 से वर्तमान तक प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर 15 कार्य दिवस.	पंजीयक (अभिलेख)	एक माह	परीक्षा नियंत्रक
41.6	(2) अंकसूची में संशोधन	प्राचार्य समन्वयक संस्था (मंडल द्वारा नामित)	**नाम उपनाम में सुधार** (अ) वर्तमान वर्ष का समन्वयक संस्था प्राचार्य से संशोधन का अनुमोदन होने के उपरांत 21 कार्य दिवस.	पंजीयक (अभिलेख)	एक माह	परीक्षा नियंत्रक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(ब) वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष से एक वर्ष पूर्व तक के प्रकरणों में समन्वयक संस्था प्राचार्य से संशोधन का अनुमोदन होने के उपरांत 30 कार्य दिवस.			
			जन्म तिथि में सुधार			
			(अ) वर्तमान वर्ष से पिछले तीन वर्ष तक के प्रकरण समन्वयक संस्था प्राचार्य से संशोधन का अनुमोदन होने के उपरांत 30 कार्य दिवस.			
41.7	(3) अंकसूचियों का सत्यापन	सहायक सचिव (सत्यापन)	वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष तक के प्रकरणों में छात्र द्वारा स्वयं अंकसूची सत्यापन हेतु आवेदन करने पर प्रकरण के निराकरण हेतु समय सीमा 45 कार्य दिवस.	पंजीयक (सत्यापन)	एक माह	परीक्षा नियंत्रक
41.8	(4) उत्तरपुस्तिकाओं की पुनर्गणना	प्राचार्य समन्वयक संस्था (मंडल द्वारा नामित)	परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय-सीमा नियत है.	पंजीयक (गोपनीय)	एक माह	परीक्षा नियंत्रक
41.9	(5) उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराना	प्राचार्य समन्वयक संस्था (मंडल द्वारा नामित)	परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय-सीमा नियत है.	पंजीयक (गोपनीय)	एक माह	परीक्षा नियंत्रक
41.10	(6) हाईस्कूल/ हा.से. परीक्षा की सम्बद्धता	सहायक सचिव (सम्बद्धता)	आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने के पश्चात् एवं संबंधित संस्था द्वारा सम्बद्धता शुल्क ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् प्रकरण के निराकरण हेतु समय सीमा 45 कार्य दिवस.	पंजीयक (सम्बद्धता)	एक माह	उप सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.11	(7) डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. परीक्षा की सम्बद्धता	सहायक सचिव (सम्बद्धता)	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा नवीन मान्यता/ मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिनांक 10 मार्च तक मंडल में सशुल्क आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 कार्य दिवस. माननीय सर्वोच्चा न्यायालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक 10 मई के अध्याधीन.	पंजीयक (सम्बद्धता)	एक माह	उप सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.